



राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 (आइ.पी.नं.24870)

क्रमांक: प. 10(9)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-03458

जयपुर, दिनांक:- 26/02/2024

—:आदेश:—

वर्ष 2024-25 में की गयी बजट घोषणा के बिन्दू संख्या 51(III) की अनुपालना में बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत अधिक से अधिक संख्या में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आत्मरक्षा (Self-Defence) की विभिन्न तकनीकों में उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट (Black Belt) को खेल कोटे में सम्मिलित करते हुए, मान्यता प्राप्त संस्था से ब्लैक बेल्ट योग्यताधारी (Black Belt) छात्राओं को राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रवेश योग्यता सूची में वरियता निर्धारण हेतु 5 प्रतिशत बोनस अंक का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. अनिल कुमार)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4)विधि/अकाद/आकाशि/2024-03469/

दिनांक:-

विषय :-शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राजकीय महाविद्यालयों में आत्मरक्षा की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट (Black Belt) योग्यताधारी छात्राओं को प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 5 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जाने बाबत।

संदर्भ:- उप शासन सचिव-प्रथम का आदेश क्रमांक प. 10(9)शिक्षा/गुप-3/2024-03458 दिनांक 26.02.2024।

संदर्भित आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि संबंधित आदेश की पालना में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
9. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
10. प्रभारी, आई.टी. सेल, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
11. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।

(हर्ष सावन सुखा)
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राज.

RajKaj Ref
5876213

Document certified by Harsh Sawansukha
<Harshsawansukha@yahoo.com>.

Digitally Signed by Harsh Sawan
Sukha
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :05-03-2024 02:53:54